# निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

करण संख्या – 146 / 2019 दिनांक :05.04.2021

अनवान

भगवाना पिता हमता जी जाति रेबारी उम्र 54 वर्ष निवासी नरधारी तहसील भदेसर।

.......... वादी

|| बनाम ||

1. भंवर लाल पिता सवा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
2. गमेर पिता सवा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
3. सुगना पुत्री सवा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
4. गीता पुत्री सवा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
5. नानी पुत्री सवा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
6. शंकरी पुत्री सवा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
7. राजाराम पिता रामा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
8. सायरी पुत्री रामा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
9. आजाद पुत्री रामा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
10. सज्जन बाई पत्नि रामा रेबारी उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
11. लाड कुंवर पत्नि कान सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर
12. यशवंत कुंवर पत्नि प्रतापसिंह खंगारोत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी नेहरूनगर सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
13. सरकार जरिये भूमिधारी जी तहसीलदार साहब भदेसर
14. देवकुंवर पत्नि थान सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी नरधारी तहसील भदेसर

................. प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित –श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:16 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र वादी अंतर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 निम्न प्रकार है।

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 12 एवं 14 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

स्थित है जिसके खाता सं0 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 38 रकबा 0.6500 हैक्टर,आराजी नं0 39 रकबा 0.1200 हैक्टर,आराजी नं0 43 रकबा 2.3900 हैक्टर, आराजी नं0 44 रकबा 1.5200 हैक्टर किता 04 कुल रकबा 4.6800 हैक्टर कुल लगानी 18.24 रूपये इसी तरह खात सं0 38 पर दर्ज आराजी नं0 52 रकबा 1.6500 हैक्टर लगानी 6.60 रूपये स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 एवं नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पत्र है।

2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता सं0 36 में दर्ज आराजीयात में वादी का 1/3 हक हिस्सा व शेष हिसा प्रतिवादीगण 01 से लगायत 10 एवं 14 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इसी प्रकार खाता सं0 38 में दर्ज आराजीयात में वादी का 1/3 हक हिस्सा व शेष हिसा प्रतिवादीगण 01 से लगायत 12 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। एवं इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परंतु वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाडा आज दिनांक तक नहीं हुआ है जिससे उक्त हिस्से को लेकर आये दिन लडाई झगडे एवं विवाद होता रहता है जिससे बंटवाडा आराजीयात करवाने हेतु वाद पत्र पेश है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य रकबे की कमी पेशी एवं जगह विशेष को लेकर तथा लगान की अदायगी को लेकर भी आये दिन विवाद होता रहता है। प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात का वैधानिक रूप से बंटवाडा कराये बगैर आराजीयात को अन्य को हस्तांतरित करने एवं निर्माण कार्य करते पर आमादा हो रहे है एवं आये दिन मौके पर भूमाफियाओं को लाकर जमीन की सौदेबाजी कर रहे है जबकि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में प्रत्येक हिस्सेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है। इससे उक्त कृषि आराजीयात का अविलम्ब बंटवाडा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर करवाया जाना आवश्यक होने से वाद पत्र पेश है।

4. यह कि वाद पत्र चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण विधिवत बंटवाडा कराये बिना ही अन्य को रहन,बह, बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तांतरित करने एवं निर्माण कार्य करवाने पर आमादा हो रहे है व वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि का [illegible] बिना ही आराजीयात को अन्य को हस्तांतरित करने व [illegible] करने पर प्रतिवादीगण वादी के साथ झगड़ा करने पर आमादा हो गये जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि जब तक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

आराजीयात की एक इंच भूमि को भी किसी अन्य के रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से मुन्तकील न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नहीं करावें। तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें।

5. यहकि की खातेदार रामा पिता उंकार की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान प्रतिवादी सं0 7 से लगायत 10 को पक्षकार के रूप में कायम किये गये है

6. यह कि वाद कारण दिनांक 01.09.2019 को आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कराये बगैर अपने मन मकसूद तरीके से अन्य को हस्तांतरित करने की धमकी देने एवं निर्माण कार्य करने से पैदा होकर निरंतर हर दिन जारी है। वाद कारण उत्पन्न होकर अन्दर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे किः—

अ. कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित खाता सं0 36 में वादी का 1/3 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण सं0 1 से 10 का राजस्व रेकार्ड अनुसार एवं खाता सं0 38 में वादी का 1/3 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण सं0 1 से 12 का राजस्व रेकार्ड अनुसार रखा जाकर उसी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे ।

ब. कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा नहीं कर दिया जावे तब तक प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद पंत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के किसी भी भाग को किसी अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तांतरित एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि न तो स्वंय करे ना किसी अन्य से करावे ।

स. कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किया जाकर खाता अलग अलग किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:16 IST
Reason: SelfAttested

द. कि अन्य कोई सहायता जो वादीगण के हित की हो न्यायालय उचित समझे वह वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की तरफ से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। उसकी नकल वकील वादी को दिलाई गई एवं दिनांक 05.04.2021 को देव कुंवर पत्नि थान सिंह राजपूत निवासी नरधारी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :-

उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थिया ने राजाराम जो प्रकरण में प्रतिवादी सं0 7 है उससे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खाता सं0 36 पर दर्ज आराजी नं0 43 रकबा 2.39 हैक्टर में से बनने वाला सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा क्रय किया जिसकी प्रविष्ठि जमाबंदी के खाता सं0 82 पर दर्ज है । प्रकरण में मुझ प्रार्थिया को पक्षकार कायम किया जावें जिसकी नकल वकील वादी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को मुकदमा पक्षकार प्रतिवादी संख्यचा 14 के रूप में संस्थित किया गया ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई ।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होंनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से निवेदन किया कि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराया जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित कराया है कि ग्राम नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित खाता सं0 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 38 रकबा 0.6500 हैक्टर,आराजी नं0 39 रकबा [illegible] हैक्टर,आराजी नं0 43 रकबा 2.3900 हैक्टर, आराजी नं0 44 रकबा 1.5200 हैक्टर [illegible] रकबा 0.6800 हैक्टर इसी तरह खात सं0 38 पर दर्ज आराजी नं0 52 रकबा 1.6500 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित मानते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि मौजा नरधारी पटवार हल्का बागुण्ड तहसील भदेसर में खाता सं0 36 पर दर्ज आराजी नम्बर 38 रकबा 0.6500 हैक्टर,आराजी नं0 39 रकबा 0.1200 हैक्टर,आराजी नं0 43 रकबा 2.3900 हैक्टर, आराजी नं0 44 रकबा 1.5200 हैक्टर किता 04 कुल रकबा 4.6800 हैक्टर इसी तरह खात सं0 38 पर दर्ज आराजी नं0 52 रकबा 1.6500 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का दर्ज हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन से अलग कर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमी नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें । विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात हक हिस्से अनुसार वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने तक आराजी के किसी भी भू भाग को रहन बह, बक्षीस,निर्माण अथवा अन्तरण नहीं करें न करावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:37:16 IST
Reason: SelfAttested